1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुरथाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2021**......
प्र0इ0रि0 सं. ...59... /**2023**.............................दिनांक............15/02/2023..................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**.......... धाराये..........**7,7ए,**
(II) * अधिनियम ....**भा. दं. सं.**................धारायें ....120 बी........................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....271.......................... समय ...5:50pm...
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**....दिनांकः–13.02.2023 समय 02 **पी.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **09.02.2023**

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री **कन्हैयालाल कुमावत**...................
(ब) पिता/पति का नाम **श्री रामचरण कुमावत**..........
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष......................31 साल ....
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....

(ल)पता –निवासी नायकों का दडा, नांवा रोड, वार्ड नं0 10, साम्भर लेक, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री बालकिशन जांगिड़ पुत्र श्री ताराचन्द जांगिड़ उम्र 42 साल निवासी छोटा बाजार पुलिस थाना साम्भर लेकर, जयपुर हाल चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर।

2– श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर, मध्यस्थ (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).**रिश्वती राशि 1,25,000/– रूपये,**

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 1,25,000/–रूपये**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 09.02.2023 को परिवादी श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामचरण कुमावत उम्र 31 साल निवासी नायकों का दडा, नांवा रोड, वार्ड नं0 10, साम्भर लेक, जयपुर ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''''हमारा पुराना कब्जेशुदा व पट्टेशुदा मकान नांवा रोड पर मेरी माताजी के नाम से स्थित है जिसके आगे की कब्जेशुदा भूमि का नियमन पट्टा लेने के लिये 8, 9 महिने पहले नगर पालिका मण्डल साम्भर लेकर में पट्टा रजिस्टर्ड हुआ तो ऑरिजनल पट्टा व निर्माण स्वीकृति लेने के लिये मैंने चेयरमेन साहब बालकिशन जांगीड से मिला तो उन्होंने कहा कि ओरिजनल पट्टा व निर्माण ईजाजत लेनी है तो आपको 2.75 लाख रूपये देने पडेंगे अन्यथा पट्टा रद्द कर दूंगा, साथ ही कहा कि पैसे की लेन देन व फोन कॉल शेलेन्द्र चौधरी से करना जो उसी समय वहां पर मौजद था, इसी दौरान चेयरमेन साहब कि गाडी में चलते –चलते हुये बाते हुई थी, चेयरमेन श्रीमान् बालकिशन जांगीड मुझे पट्टा देने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है, श्री बालकिशन जांगीड से मेरा कोई लेन देन व ना ही किसी प्रकार की कोई रंजीश नहीं है। श्री बालकिशन जांगीड को मैं रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। अतः आप उचित कार्यवाही करें'' उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर परिवादी श्री कन्हैयालाल से मजीद दरियाफत की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा परिवादी से हुई मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर तथा ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाये जाने के सम्बंध में परिवादी को अवगत कराया गया। कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड मंगवाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर उसका खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि उक्त सत्यापन की कार्यवाही हेतु संदिग्ध श्री बालकिशन से मिलने के लिये मुझे पहले शेलेन्द्र से बात कर समय लेना पडेगा, क्योंकि वह उसके मार्फत ही मुझसे बात करेगा। वह सीधे मुझसे बात नहीं करता है। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखते हुये आईन्दा संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु समय लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को बाद आवश्यक हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया।

दिनांक 10.02.2023 को परिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को मामले में गोपनीय सत्यापन के बारे में अवगत कराकर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के सम्बंध में श्री शेलेन्द्र चौधरी से वार्ता होना अवगत कराया तथा कहा कि श्री शेलेन्द्र चौधरी ने संदिग्ध अधिकारी श्री बालकिशन जांगिड से बात कर समय बताने के लिये कहा है सम्भवतया वह मुझे आज ही मुझे बात करने के लिये बुलायेगा। चूंकि मन् उप अधीक्षक पुलिस आज दिनांक 10.02.2023 को अन्य राजकार्य से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में उपस्थित हूं अतः मामले में अब तक के हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

महोदय को जरिये दूरभाष निवेदन किये गये तथा कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह नं0 334 को परिवादी श्री कन्हैयालाल के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर परिवादी के पास पहुंचकर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह 334 द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया गया उक्त गोपनीय सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर संदिग्ध अधिकारी श्री बालकिशन जांगिड, चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भर लेक, जयपुर द्वारा परिवादी की कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 2 लाख 60 हजार रूपये की मांग करना तथा उक्त अनुचित लाभ/रिश्वत मांग के क्रम में पहले 1,50,000/– रूपये मध्यस्थ श्री शेलेन्द्र चौधरी को देने हेतु कहना सत्यापित हुआ।

दिनांक 12.02.2023 को परिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा जरिये दूरभाष संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था होन के बारे में अवगत कराये जाने पर दिनांक 13.02.2023 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान श्री रवि बुनकर तथा श्री भुवनेश कुमार को जरिये दूरभाष तलब किया जाकर दिनांक 13.02.2023 को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद करवाया गया। दिनांक 13.02.2023 को परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया, तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री रवि बुनकर तथा श्री भुवनेश कुमार उपस्थित आये। तत्पश्चात् कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह नं0 334 द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर उक्त में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप में चलाया जाकर सुनाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री कन्हैयालाल से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को मामले की गोपनीयता रखने की आवश्यक हिदायत दी गई।

तत्पश्चात् परिवादी श्री कन्हेयालाल को स्वतंत्र गवाहन के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री बालकिशन जांगिड, चेयरमेन को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 250 नोट कुल 1,25,000/–(भारतीय चलन मुद्रा के) रूपये प्रस्तुत कर इतने की ही व्यवस्था होने के बारे में अवगत कराया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। महिला कानि0 श्रीमती निधि नं0 86 से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1,25,000/– रूपये के 250 नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के) पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस कर फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात् परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री कन्हैयालाल कुमावत को बाद हिदायत उसकी स्कूटी होन्डा एक्टीवा नम्बर आरजे 47 जीए 0710 से श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक के साथ ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर से सांभर लेक रवाना किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ श्री कमल नयन उप अधीक्षक पुलिस, श्री कमलेश कानि. 293, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 365 मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर

से अग्रिम कार्यवाही हेतु सांभर लेक हेतु रवाना हुये तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय कानि. श्री देवेन्द्र सिहं कानि 334 श्री विनोद कानि. 242 श्री सुभाष मील कानि. 465 मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के वास्ते अग्रिम कार्यवाही के लिये ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से सांभरलेक हेतु रवाना होकर समय करीब 2.00 पीएम पर सांभर साल्ट निगम लिमिटेड, सांभरलेक, जयपुर पहुंचा, जहा पर सरकारी वाहन को सड़क के किनारे साईड लगाकर परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि वह सांभर लेक से कुछ ही दूरी पर है सांभर लेक पहुचने में उसे थोडा समय लगेगा, जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल को सावधानी पूर्वक सांभर साल्ट निगम लिमिटेड, सांभरलेक, जयपुर के पास पहुंचने की हिदायत की गई, इसी दौरान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के साथ सांभर साल्ट निगम लिमिटेड, सांभरलेक, जयपुर के पास उपस्थित आये, जिन्हे अब तक के हालात से अवगत कराया गया, तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के सांभर साल्ट निगम लिमिटेड, सांभरलेक, जयपुर आने के इन्तजार के मुकीम हुये। समय करीब 02.30 पीएम पर परिवादी अपनी स्कूटी होन्डा एक्टीवा से श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक के साथ सांभर साल्ट निगम लिमिटेड, सांभरलेक, जयपुर पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास पहुंचा तथा परिवादी ने बताया कि इस समय संदिग्ध श्री बालकिशन जांगिड़, चैयरमेन नगरपालिका कार्यालय, सांभरलेक में ही मिलेगा, तत्पश्चात परिवादी को हिदायत हुई कि आप अपनी स्कूटी पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 334 के साथ नगरपालिका कार्यालय जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री बालकिशन जांगिड़ से अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को इसमें रिकॉर्ड करें तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त रिश्वती राशि अपने जेब से निकालकर उसको देवें तथा संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत राशि देने के बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता को पूर्व निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात परिवादी को कानि श्री देवेन्द्र सिंह के साथ उसकी स्कूटी पर नगरपालिका कार्यालय हेतु सांभरलेक हेतु रवाना किया गया, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान भी अपने–अपने सरकारी वाहनों से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुये। कुछ समय पश्चात परिवादी अपनी स्कूटी से नगरपालिका, साम्भर लेक के सामने पहुंचा तथा अपनी स्कूटी नगरपालिका के सामने सडक पर खडी कर कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह को नगरपालिका के सामने ही छोडकर नगरपालिका के अन्दर चला गया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनों सरकारी वाहनों को नगरपालिका से कुछ दूर पहले रोककर वाहनों को रोड के किनारे खडा करवाया तथा श्री देवेन्द्र सिंह कानि. से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर परिवादी के आस–पास रहकर अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत की गई, मन् उप अधीक्षक पुलिस ने समस्त जाब्ता तथा उपरोक्त मौतबिरान को भी परिवादी के आस–पास रहकर अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस भी नगरपालिका कार्यालय के आस–पास मुकिम हुआ। तत्पश्चात कुछ समय बाद परिवादी नगरपालिका कार्यालय से बाहर निकलकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री बालकिशन जांगिड़ अभी कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ बात करने में व्यस्थ है तथा उसने मुझे देख लिया है परन्तु उसने मुझसे बात नहीं की है, सम्भवतया वह उन व्यक्तियों से मिलने के बाद मुझसे बात करेगा, जिस पर परिवादी के बताये अनुसार कुछ समय इन्तजार करने के बाद नगरपालिका कार्यालय से कुछ व्यक्तियों के बाहर आये, जिन्हें देखकर परिवादी ने बताया कि यही व्यक्ति संदिग्ध श्री बालकिशन जांगिड़, चेयरमेन के पास बैठे थे, जिस पर परिवादी को बाद हिदायत पुनः संदिग्ध अधिकारी से वार्ता

करने हेतु नगरपालिका कार्यालय में रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी पुनः नगर पालिका कार्यालय से बाहर निकलकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया तथा बताया कि मैंने नगरपालिका कार्यालय में जाकर संदिग्ध श्री बालकिशन जांगिड़, चैयरमेन से मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता की तो उन्होने मुझसे रिश्वत राशि के बारे में पूछकर कि 1,25,000/– रूपये, और कितने पैसे बाकी रहने सम्बंधित वार्ता कर उक्त रिश्वत राशि शेलू को देने के लिये कहा है। मैंने उनसे मैरे दस्तावेजों के बारे में पुछा तो उन्होंने कहा कि आपके दस्तावेजात सुरक्षित है आप उपरोक्त पैसे शेलू को दे दो, आपके कागज मिल जायेंगे। जिस पर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर उसमें रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो उसमें संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अब तक के हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये तथा तत्पश्चात् निर्देशानुसार परिवादी के मोबाईल फोन से मध्यस्थ शेलू उर्फ शेलेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर–9413777755 पर कॉल करवाकर पूर्ण परिस्थितियों से अवगत कराकर रिश्वत राशि के सन्दर्भ में वार्ता करवाई गई तथा होने वाली वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लॉउड स्पीकर मोड पर कर डिजीटल वाईस रिकार्डर ऑन कर रिकॉर्ड किया गया, उक्त वार्ता में संदिग्ध मध्यस्थ द्वारा स्वंय को जांदू गार्डन, नावां रोड, सांभरलेक, जयपुर पर उपस्थित होना बताकर परिवादी को रिश्वत राशि लेकर जांदू गार्डन, नावां रोड, सांभरलेक, जयपुर आने हेतु कहा गया, तत्पश्चात उक्त वार्ता अनुसार परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपूर्द कर संदिग्ध मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा बताये गये स्थान जांदू गार्डन, नावां रोड, सांभरलेक, जयपुर पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. के साथ परिवादी की स्कूटी पर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पीछे–पीछे जांदू गार्डन, नावां रोड, सांभरलेक, जयपुर के पास पहुंचे जहा परिवादी ने मैरिज गार्डन से कुछ दूरी पहले श्री देवेन्द्र कानि. को अपनी स्कूटी से उतार दिया था, स्वंय स्कूटी लेकर मैरिज गार्डन के गेट के पास पहुंचा, जहां पर उसने स्कूटी गेट पर ही खडी कर स्वंय गार्डन के अन्दर चला गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहनों को मैरिज गार्डन से कुछ दूर आगे खडा करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ परिवादी के आस–पास उक्त मेरिज गार्डन के बाहर रहकर अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध मध्यस्थ के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने हेतु मूकीम हुआ। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात् परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री शेलेन्द्र चौधरी अभी गार्डन पर उपस्थित नहीं है वह बाहर गया हुआ है तथा मुझे गार्डन पर रहने के लिये कहा है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के बताये अनुसांर संदिग्ध मध्यस्थ के गार्डन पर आने तथा परिवादी को बताये पूर्व निर्धारित इशारें के इंतजार में उक्त गार्डन के आस–पास ही मूकीम हुये। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति मोटरसाईकिल पर उक्त जान्दू गार्डन के गेट के पास आकर रूका तथा मोटरसाईकिल गेट पर खडी कर गार्डन में प्रवेश कर परिवादी से वार्ता करने लग गया। कुछ समय पश्चात परिवादी उक्त गार्डन के बाहर निकला तथा पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता मय उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर पुनः मन् उप अधीक्षक पुलिस तथा हमराहियान के साथ गार्डन में प्रवेश कर उक्त गार्डन में बने हुये मकान के पीछे मौजूद एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही शेलू उर्फ शेलेन्द्र चौधरी है जिसको रिश्वत राशि देने के लिये मुझे श्री बालकिशन जांगिड़ ने कहा था तथा उनके कहे अनुसार मैंने इस शेलेन्द्र चौधरी से वार्ता कर इनके मांगने पर उक्त रिश्वत राशि 1,25,000/– रूपये मेरे जैकेट के जेब से निकालकर इनको दे दिये। इन्होंने उक्त रिश्वत राशि को अपने दोनों हाथों से लेकर गिनकर अपनी पहनी

हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनीं जेब में डाल लिये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध मध्यस्थ श्री शेलेन्द्र चौधरी को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष पूछा की अभी आपने श्री कन्हैयालाल से कोई रिश्वती राशि ली है, तो पहले तो संदिग्ध आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी घबरा गया, फिर तसल्ली देकर पूछा तो उसने बताया कि श्री कन्हैयालाल ने कुछ दिन पहले मुझे अपनी जमीन के पट्टे के लिये चेयरमेन साहब श्री बालकिशन जांगिड़ से वार्ता कराने के लिये कहा था तथा उस दिन चेयरमेन साहब के गार्डन पर आने पर मैंने श्री कन्हैयालाल को उनसे वार्ता करवाई थी। इसके बाद इनसे मेरी बात नहीं हुई आज इन्होंने मुझे कहा कि चेयरमेन साहब ने पैसो के लिये कहा है तब मैंने इनको मेरे गार्डन पर बुलाया था तथा इन्होने मुझे अभी 1,25,000/–रूपये चेयरमेन साहब के लिये दिये है। जो मैंने लेकर मेरे टेन्ट हाउस के तकिये के कवर में रखे है। यह राशि मैंने श्री बालकिशन जांगिड़, चेयरमेन के कहने पर ही श्री कन्हैयालाल से उनके लिये ही ली है। तत्पश्चात् संदिग्ध श्री शेलेन्द्र चौधरी को उक्त राशि परिवादी के किस कार्य हेतु चैयरमेन साहब के कहने पर ली है के सम्बंध में पूछने पर श्री शेलेन्द्र चौधरी ने बताया कि श्री कन्हैयालाल को अपनी जमीन का नगरपालिका से पट्टा जारी करवाना था। उसके लिये उन्होंने यह पैसे लेने के लिये कहा था। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने भी बताया कि इसने रिश्वत मांग सत्यापन के पश्चात दिनांक 11.02.2023 को भी मुझे फोन कर उक्त रिश्वत राशि देने हेतु कहा था तथा आज भी दिन में इन्होंने मुझे कॉल किया था परन्तु मै स्कूटी पर होने के कारण रिसीव नहीं कर सका, सम्भवतया आज भी इन्होंने मुझे इस रिश्वत राशि हेतु ही कॉल किया था। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हमराहियान कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह 334 से आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी का दाहिना हाथ तथा कानि0 श्री विनोद नं0 242 से आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी का बायां हाथ पकडवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मांगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्का अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्का अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के बताये अनुसार मैरिज गार्डन में बने हुये हॉल के पास रखे हुये टेन्ट हाउस के तकियों में आरोपी के बताये अनुसार एक काले रंग के तकिये के कवर को स्वतंत्र गवाहान श्री भुवनेश कुमार से उठवाया जाकर तलाशी लिवाई गई तो उक्त काले रंग के तकिये के कवर से पांच–पांच सौ रूपये के नोट (सभी भारतीय चलन मुद्रा के) बरामद होना पाया गया। जिन्हें स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त काले रंग के तकिये के कवर में 500–500 रूपये

के कुल 250 नोट कुल 1,25,000/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित (फर्दानुसार) किये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के कब्जे से उसके द्वारा अपने टेन्ट हाउस के तकिये के कवर में रखी गई, बरामदशुदा रिश्वती राशि 1,25,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के द्वारा जिस काले रंग के तकिये के कवर में रिश्वत राशि रखी गई, जिसमें से रिश्वत राशि बरामद की गई, उक्त तकिये के कवर को उलट कर प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्का अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि उक्त मैरिज गार्डन आम रास्ते पर होने के कारण लोगो की आवाजाही ज्यादा होकर मौके पर तमाशबीन लोगों की भीड होने के कारण तथा मामले में गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता होने से अग्रिम कार्यवाही मौके पर किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होने तथा मौके पर कार्यवाही से मामले की गोपनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक से जरिये दूरभाष निवेदन किया जाकर मौके पर जाब्ता तलब करने पर पुलिस थाना सांभरलेक से श्री दयाल सिंह, सउनि मय जाब्ता के मौके पर उपस्थित आये। मामले में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023, आज दिनांक 13.02.2023 को परिवादी तथा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़, चैयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर के मध्य हुई वार्ता तथा अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ द्वारा परिवादी की कब्जेशुदा भूमि का नगरपालिका, साम्भरलेक से नियमन पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कराने की एवज में आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी से अवैध रूप से मिलीभगत करना तथा परिवादी से आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के मार्फत रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। जिसके सम्बंध में आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ से पूछताछ एवं अनुसंधान करना आवश्यक है। अतः हमराहियान जाब्ते में उपस्थित श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता को पुलिस थाना साम्भर लेक से उपस्थित आये जाब्ते के साथ आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को डिटेन कर मौके पर लाने की हिदायत कर रवाना किया गया। चूंकि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मामले में अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना साम्भर लेक पर जाकर की जानी है। इसलिये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री शेलेन्द्र के कब्जे से बरामद शुदा रिश्वत राशि 1,25,000/– रूपये, धोवन सेम्पलों तथा जिस तकिये के कवर से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाकर ट्रेप बॉक्स को सरकारी वाहन में रखवाया जाकर हमराहियान कानि0 श्री दिपेन्द्र सिंह नं0 365 को निगरानी की हिदायत की गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते, उपरोक्त गवाहान तथा आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के साथ मौके से रवाना होकर पुलिस थाना साम्भर लेक पहुंचा। जहा पर थानाधिकारी पुलिस थाना साम्भर लेकर उपस्थित मिले, जिन्हें अपना परिचय देकर अब तक की कार्यवाही के बारे में बताकर अपने आने के प्रयोजन से अवगत कराया गया। तत्पश्चात थानाधिकारी पुलिस थाना साम्भर लेक से अग्रिम कार्यवाही हेतु एकान्त स्थान हेतु निवेदन करने पर थानाधिकारी द्वारा एक कक्ष खुलवाया जाकर उक्त कक्ष में कार्यवाही सम्पन्न कराने बाबत अवगत कराने पर उक्त कक्ष में कानि0 श्री दीपेन्द्र सिंह नं0 365 से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया तथा आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी द्वारा रिश्वत राशि जिस काले रंग के तकिये के कवर में रखी गई, जिसमें से दौराने कार्यवाही रिश्वत राशि बरामद की गई, उक्त तकिये के कवर को सुखाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली पर मार्का अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री शेलेन्द्र चौधरी के पहनने के लिये एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी श्री शेलेन्द्र के वरवक्ता वाका पहनी हुई जींस पेंट को उतरवाया जाकर उक्त जींस पेंट के दाहिनी जेब को उलट कर प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्का अंकित

कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी द्वारा पहनी हुई जींस पेंट के दाहिनी जेब को सुखाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली पर मार्का अंकित कर थैली को शील्डमोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़, चेयरमेन को डिटेन कर पुलिस थाना साम्भर लेक पर लाने की हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात् श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को लेकर पुलिस थाना साम्भर लेकर पर उपस्थित आये तथा अवगत कराया कि उक्त आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपनी गाडी में नावां चौराहा, साम्भर लेकर पर मिला, जिसे देखकर पुलिस थाने के जाब्ते ने पहचान कर बताया कि यही श्री बालकिशन जांगिड़, चेयरमेन की गाडी है तथा वो स्वयं ही उसको चला रहे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता ने आरोपी के उक्त वाहन को रूकवाकर चालक को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बालकिशन जांगिड़ पुत्र श्री ताराचन्द जांगिड़ उम्र 42 साल निवासी छोटा बाजार पुलिस थाना साम्भर लेकर, जयपुर हाल चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को अपने आने का प्रयोजन बताकर हमराह लेकर उपस्थित आया हूं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने उपरोक्त नाम पता होना बताया। जिस पर आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ से परिवादी श्री कन्हैयालाल से आज दिनांक 13.02.2023 को आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के मार्फत प्राप्त की गई रिश्वत राशि के सम्बंध पूछने पर आरोपी श्री बालकिशन द्वारा पहले तो स्पष्ट तौर पर इंकार किया गया। फिर तसल्ली पूर्वक परिवादी के कार्य के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री बालकिशन द्वारा परिवादी को पहचानते हुये बताया कि यह कन्हैयालाल है ये मेरे पास कुछ दिन पूर्व अपनी कब्जेशुदा भूमि का नगर पालिका से नियमन करवाकर पट्टा जारी करवाने के सम्बंध में मिले थे। इन्होंने अपनी माताजी के नाम से नगरपालिका में उक्त भूमि के नियमन तथा पट्टे हेतु आवेदन किया है। एक दो बार इन्होंने मेरे से उक्त पट्टे के सम्बंध में वार्ता की, परन्तु मैंने उक्त के एवज में इनसे कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। जिस पर परिवादी को आरोपी श्री बालकिशन के समक्ष बुलाकर दोनों का आमना–सामना करवाया जाकर पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि हमारी कब्जेशुदा भूमि का हमने आवेदन काफी दिनों पूर्व में नगरपालिका, साम्भरलेक में किया था परन्तु नगरपालिका से पट्टा जारी नहीं होने पर मैं श्री बालकिशन जांगिड़ से मिला तो इन्होंने मुझसे रिश्वत राशि की मांग की थी। उसके बाद मैं रिश्वत मांग सत्यापन के दिन भी आरोपी शेलेन्द्र चौधरी से बात कर इनसे जान्दू गार्डन में मिला तब भी इन्होंने मुझसे हमारी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में मुझसे 2 लाख 60 हजार रूपये की मांग कर 1 लाख पचास हजार रूपये पहले देने के लिये कहा था। जिस पर उक्त के सन्दर्भ में मौके पर उपस्थित आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ ने बताया कि यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कभी भी रिश्वत की मांग नहीं की है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त मौतबिरान तथा उपस्थित थानाधिकारी पुलिस थाना साम्भरलेक के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई वार्ता विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना बताकर उक्त वार्ता में आरोपी श्री बालकिशन द्वारा परिवादी की कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में मुझसे 2 लाख 60 हजार रूपये की मांग करने पुष्टि होने के बारे में अवगत कराया गया तो आरोपी श्री बालकिशन ने कहा कि मेरे तथा श्री कन्हैयालाल के मध्य रिश्वत के सम्बध में कोई वार्ता नहीं हुई है अगर आपके पास कोई वार्ता रिकॉर्ड है तो मुझे सुना दो, तत्पश्चात् विभागीय लेपटॉप की सहायता से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023 की वार्ता को चलाया जाकर आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को सुनाया गया तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ता में स्वयं की आवाज होना पहचान कर मौके पर उपस्थित श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को रिकॉर्डेड वाफयस क्लीप में वार्ता पूर्ण होने से पहले ही उक्त वॉयस क्लीप को रोकने का ईशारा कर कहा कि उसकी गलती हो गई एक बार उसे माफ करं दो भविष्य में वह एसी गलती कभी नहीं करेगा। आरोपी द्वारा मौके पर उपस्थित श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना साम्भर लेक को मदद करने तथा एसीबी से एक बार छुडवाने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात्

आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को तसल्लीपूर्वक पूछा गया तो उसने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन में रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री कन्हैयालाल तथा उसकी स्वयं की आवाज है तथा उसने ही परिवादी की कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में मुझसे 2 लाख 60 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की है। आज दिनांक 13.02.2023 को भी परिवादी श्री कन्हैयालाल मेरे कार्यालय में आया था तब भी मैंने उसको उक्त राशि के सम्बंध में पूछा तो तब मैंने उसको उक्त रिश्वत राशि श्री शेलेन्द्र चौधरी उर्फ शेलू को देने के लिये कहा था। मैंने शेलू को पूर्व में ही श्री कन्हैयालाल से पैसे लेने के लिये कह दिया था। तत्पश्चात् आरोपी श्री बालकिशन ने कहा कि एक बार मुझे छोड दो मेरा विवेक काम नहीं किया इसलिये मैंने लालच में आकर इससे पैसे मांग लिये थे मेरी मां बीमार है आप मेरे को एक बार माफ कर दो। जिस पर आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को आवश्यक समझाईश की जाकर तसल्ली दी गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड, चेयरमेन से रिश्वत मांग सत्यापन में किन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवादी से रिश्वत की मांग की गई है के सन्दर्भ में पूछने पर चेयरमेन ने बताया कि वो तो मैंने ही श्री कन्हैयालाल से रिश्वत की मांग थी, नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी एवं अधिकारी ने मेरे से परिवादी के कार्य के लिये कोई पैसे नहीं लिये है। वो तो मैंने ही कन्हैयालाल से पैसे लेने के लिये उसको ऐसा कहा था। तत्पश्चात आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ को परिवादी की पट्टा पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि पट्टा पत्रावली नगरपालिका कार्यालय में ही है तथा इनके आवेदन पर नगरपालिका से पट्टा भी जारी हो चुका है। ततपयचात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ईओ नगरपालिका साम्भर लेक श्री हरिनारायण यादव के मोबाईल नम्बर लेकर उनसे वार्ता कर परिवादी की माताजी श्रीमती कमला कुमवात के नाम की पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर आरोपी श्री बालकिशन ने बताया कि उक्त पत्रावली मेरे द्वारा मेरे कार्यालय में आलमारी के उपर रखी हुई है। आप मेरे मिलने वाले श्री उपेन्द्र वर्मा से बात करवा दो वो मेरे कार्यालय में आता जाता रहता है। तत्पश्चात् कानि0 श्री दिपेन्द्र सिंह नं0 365 के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री बालकिशन जांगिड की उसके बताये अनुसार उसके परिचित श्री उपेन्द्र वर्मा के मोबाईल नम्बर 9251126555 पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री बालकिशन जांगिड ने श्री उपेन्द्र वर्मा को अपने कार्यालय की आलमारी पर कमला कुमवात की पत्रावली होना बताकर उक्त पत्रावली को पुलिस थाना साम्भरलेकर पर लाने हेतु कहा गया। थोडी देर बाद एक व्यक्ति उक्त पट्टा पत्रावली लेकर पुलिस थाना साम्भरलेक पर उपस्थित आया। जिसने उक्त पत्रावली मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जिसके बारे में पूछने पर आरोपी श्री बालकिशन जांगिड ने बताया कि यह मेरा भाई है इसका नाम रामवल्लभ उर्फ रिंकू है। जिस पर रामवल्लभ उर्फ रिंकू को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उक्त पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो उसने कहा कि अभी बालकिशन जांगिड ने उपेन्द्र वर्मा से अपने कार्यालय में फोन कर पत्रावली मंगवाई थी, श्री उपेन्द्र वर्मा ने उनके बताये अनुसार उनके कार्यालय से पत्रावली लोकर मुझे यहां देने के लिये कहा था जिसे मैं लेकर आया हूं। जिस पर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली पर नगरपालिका कार्यालय से पट्टा तथा निर्माण स्वीकृति जारी हो चुकी है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः श्री हरिनारायण यादव, ईओ से जरिये दूरभाष सूचित कर उक्त मूल पत्रावली उपलब्ध होने की सूचना दी गई तथा ईओ को उक्त मूल पत्रावली को प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ पुत्र श्री ताराचन्द जांगिड़ उम्र 42 साल निवासी छोटा बाजार पुलिस थाना साम्भर लेकर, जयपुर हाल चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल से उसकी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से सह आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर से अवैध रूप से मिलीभगत करना, रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023 को परिवादी से उसकी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 2 लाख 60 हजार रूपये की मांग करना तथा उक्त

रिश्वत मांग के क्रम में पहले 1,25,000/– रूपये सह आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के मार्फत देने हेतु कहना तथा उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 13.02.2023 को परिवादी को रिश्वत राशि आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी, मध्यस्थ को देने हेतु कहकर आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के मार्फत परिवादी के उपरोक्त कार्य की एवज में बतौर अनुचित लाभ 1,25,0000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर द्वारा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़, चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भर लेक, जयपुर से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी श्री कन्हैयालाल से उसकी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में स्वयं के लिये तथा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ के लिये बतौर अनुचित लाभ की मांग कर दौराने ट्रेप कार्यवाही 1,25,000/–रूपये की रिश्वत प्राप्त करना पाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से दोनों आरोपीगण द्वारा अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफतारशुदा दोनों आरोपीगणों को हमराहियान जाब्ते के साथ राजकीय चिकित्सालय, साम्भरलेक रवाना कर दोनों आरोपीगणों की स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। घटनास्थल का निरीक्षण फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री बालकिशन जांगिड तथा श्री शेलेन्द्र चौधरी मध्यस्थ मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, जब्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 1,25.000/रूपये मय वाहन सरकारी चालकों के ब्यूरो, मुख्यालय पहुंचा।

दिनांक 14.02.2023 को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 10.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत राशि आदान–प्रदान दिनांक 13.02.2023 को परिवादी तथा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड, चेयरमेन तथा आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी, मध्यस्थ के मध्य हुई वार्ता तथा परिवादी एवं मध्यस्थ श्री शेलेन्द्र चौधरी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वती लेन–देन के समय हुई वार्ता की कम्प्यूटर के जरिये पांच सीडियां तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपीगण से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक–पृथक से मूर्तिब किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को बाद पूछताछ माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त पत्रावलियों के अवलोकन तथा अब तक की कार्यवाही से नगरपालिका कार्यालय, साम्भर लेक से आवेदक श्रीमती कमला देवी के आवेदन पर पट्टा दिनांक 21.10.2022 को जारी हो चुका था परन्तु आरोपीगण द्वारा उक्त पट्टे की मूल प्रति परिवादी/आवेदक को नहीं दी जाकर अपने कब्जे में ही रखना पाया गया है तथा दोनों आरोपीगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर उक्त मूल पट्टा परिवादी को देने तथा उक्त की भूमि पर निर्माण की स्वीकृति दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर प्राप्त करना प्रमाणित होता

है, जो कि रिश्वत मांग सत्यापन तथा लेन–देन वार्ता से भी स्पष्ट है। कार्यालय नगरपालिका से प्राप्त पत्रावलियों के अवलोकन से भी उक्त दोनों ही मूल पत्रावलियों में आवेदक के मूल पट्टे की प्रति नहीं पाई गई। जिसके सम्बंध में श्री दलपत सिंह ने बताया कि नगरपालिका की प्रति मूल पत्रावली में होनी चाहिये परन्तु इसमें केवल प्रमाणित प्रति ही उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदन के पट्टे की मूल प्रति ना ही तो नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त पत्रावली में पाई गई तथा ना ही परिवादी/आवेदक को दिया जाना पाया गया। इस प्रकार परिवादी/आवेदक के नगरपालिका कार्यालय से जारीशुदा पट्टे को आवेदक को उपलब्ध नहीं करवाकर अपने कब्जे में रखने का कृत्य भी आरोपीगण श्री बालकिशन जांगीड तथा श्री शेलेन्द्र चौधरी का आपराधिक कृत्य है। इस सन्दर्भ में नगरपालिका कार्यालय, साम्भरलेक से प्राप्त पत्रावली से स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.10.2022 को भूमि शाखा प्रभारी द्वारा लीज डीड आवेदक को दिया जाना अंकित किया गया है, परन्तु प्रकरण में अब तक के उपलब्ध साक्ष्यों यथा फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन आदि के अवलोकन तथा परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों से आवेदक/परिवादी को उक्त लीज डीड/पट्टा नहीं दिया जाना पाया गया है। इसी प्रकार आवेदक श्रीमती कमला देवी की निर्माण स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है उक्त पत्रावली में ना ही तो आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये गये है तथा ना ही निर्माण कार्य स्वीकृति सम्बंधी शुल्क जमा करवाया गया है इसके पश्चात् भी नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने हेतु प्रारूप पर हस्ताक्षर किया जाना पाया गया है। इस प्रकार उक्त प्रक्रिया में निर्माण स्वीकृति जारी करने हेतु प्रारूप पर हस्ताक्षर करने वाले अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, साम्भर लेक, जयपुर की भूमिका की संदिग्ध प्रतीत होती है। उपरोक्त के सन्दर्भ में विस्तृत अनुसांधन से ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ पुत्र श्री ताराचन्द जांगिड़ उम्र 42 साल निवासी छोटा बाजार पुलिस थाना साम्भर लेकर, जयपुर हाल चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल से उसकी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से सह आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर से अवैध रूप से मिलीभगत करना, रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023 को परिवादी से उसकी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 2 लाख 60 हजार रूपये की मांग करना तथा उक्त रिश्वत मांग के क्रम में पहले 1,25,000/– रूपये सह आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के मार्फत देने हेतु कहना तथा उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 13.02.2023 को परिवादी को रिश्वत राशि आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी, मध्यस्थ को देने हेतु कहकर आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी के मार्फत परिवादी के उपरोक्त कार्य की एवज में बतौर अनुचित लाभ 1,25,0000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर द्वारा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़, चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भर लेक, जयपुर से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी श्री कन्हैयालाल से उसकी कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने तथा उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति जारी करने की एवज में स्वयं के लिये तथा आरोपी श्री बालकिशन जांगिड़ के लिये बतौर अनुचित लाभ की मांग कर दौराने ट्रेप कार्यवाही 1,25,000/–रूपये की रिश्वत प्राप्त करना पाया गया। अब तक की कार्यवाही से दोनों आरोपीगण द्वारा अपराध धारा 7, 7ए

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1. आरोपीगण श्री बालकिशन जांगिड़ पुत्र श्री ताराचन्द जांगिड़ उम्र 42 साल निवासी छोटा बाजार पुलिस थाना साम्भर लेकर, जयपुर हाल चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर, 2. श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र–32 साल, निवासी– ग्राम रोजडी, थाना–फुलेरा, तह. फुलेरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल प्रोपराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नांवा रोड, साभर, जयपुर, मध्यस्थ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120 बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(सचिन)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1. श्री बालकिशन जांगिड़, हाल चेयरमेन, नगरपालिका, साम्भरलेक, जयपुर एवं 2. श्री शेलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवन राम, निवासी ग्राम रोजड़ी, थाना फुलेरा, तहसील फुलेरा जयपुर ग्रामीण हाल प्रापराईटर, लोकेश टेन्ट हाउस, जान्दू गार्डन, नावां रोड, साभर जयपुर, मध्यस्थ(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 39/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15/2/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-305-08 दिनांक 15.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

15/2/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।